239

निग – 883 – III/16

न्यायालय-श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर, ग्वालियर
म०प्र०

श्रीमती मंजू सिन्हा पति ए०के० सिन्हा उम्र 57 वर्ष लगभग
निवासी गढपुरी तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा बांधवगढ टाइगर रिजर्व उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0
2. गयादीन पिता अच्छे लाल अहीर निवासी गढपुरी तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0
3. लल्ला पिता अच्छे लाल अहीर निवासी गढपुरी तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0
4. होतचंद पिता श्री अधोमल सिंधी निवासी उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0 (फौत) .... गैरनिगराकार

श्री मुजीबुलहक एडवोकेट
द्वारा आज दि. 14-3-16 को
प्रस्तुत

14-3-16

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर संभाग शहडोल के राजस्व प्रकरण कमांक 53/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 25/02/2016 के संबंध में।

मुजीबुलहक एड.

14.3.2016

मान्यवर,

निगरानीकर्ता का निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि जिला उमरिया कलेक्टर उमरिया के राजस्व प्रकरण कमांक 04/पुर्नविलोकन/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 07/03/11 के विरूद्व न्यायालय कमिश्नर संभाग शहडोल के समक्ष निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 25/02/16 को न्यायालय अपर कमिश्नर जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहकर संबोधित किया जावेगा, के द्वारा निरस्त कर दी गई इस निरस्तगी आदेश से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

2. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश कानूनन एवं वाक्यातन दुरूस्त नही होने से निरस्तगी योग्य है।

3. यह कि प्रश्नाधीन मामले के भूमि के संबंध में गैरनिगराकार क0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर उमरिया जिला उगरिया म0प्र0 के समक्ष

मंजु सिन्हा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 883/तीन/2016 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.9.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 53/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व उमरिया, जिला उमरिया के द्वारा दिनांक 21.07.2006 को कलेक्टर, उमरिया को एक पत्र लिखा कि आवेदिका श्रीमती मंजू सिन्हा द्वारा ग्राम गढपुरी के कोल्हुआवाह टोले में अनावेदक क्रमांक 2 व 3 से सन् 1998 में 7 एकड भूमि क्रय किया है, जोकि टाईगर रीजर्व उमरिया के लिए अधिसूचित है। उक्त भूमि का पट्टा भी अनावेदक के नाम से बना है। पट्टे को निरस्त किया जाये। कलेक्टर, उमरिया द्वारा पत्र प्राप्ति पश्चात् उसे आवेदन मानते हुए दिनांक 09.10.2006 को प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया कि कलेक्टर, उमरिया ने अंतिम सुनवाई पर यह पाया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में एक प्रकरण उन्हीं वाद–बिन्दुओं मुख्य	

न्यायिक दण्डाधिकारी, उमरिया के न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में दिनांक 30.04.2007 को प्रकरण निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर संचालक बाधवगढ टाईगर रीजर्व, उमरिया द्वारा उसी न्यायालय में अर्थात कलेक्टर, उमरिया के समक्ष दिनांक 16.07.2007 को पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदक द्वारा उपस्थित होकर पुनर्विलोकन पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी और दिनांक 07.03.2011 को उभयपक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात् कलेक्टर, उमरिया ने पुनर्विलोकन आवेदन को ग्राह्य किया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 14.03.2011 को कलेक्टर, उमरिया के आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध न्यायालय अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.02.2016 के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3— आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि जब दिनांक 30.04.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन आवेदन दिनांक 16.07.2007 को प्रस्तुत किया गया। तब 77 दिन पूरे होते है, जिस हेतु पुनर्विलोकन आवेदन के साथ बिलम्ब माफी का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन आवेदन अवधि बाह्य है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र विलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत

होना चाहिए था, तथा निराकरण किया जाना चाहिए था। धारा 5 का आवेदन पुनर्विलोकन के साथ नहीं दिया गया, फिर भी विलम्ब से आये पुनर्विलोकन आवेदन को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन के बिना पुनर्विलोकन प्रचलनशील ही नहीं है। पुनर्विलोकन आवेदन के साथ प्रस्तुत नकल हेतु किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया और नकल किस दिनांक को प्राप्त हुयी, ब्यौरे वाले पृष्ठ को जिस पर सील मोहर होती है, पुनर्विलोकन आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित पुनर्विलोकन आवेदन को दिनांक 30.04.2007 का आदेश पारित करने वाले कलेक्टर, उमरिया द्वारा ग्राह्य नहीं किया गया, बल्कि पश्चात् पीठासीन अधिकारी, कलेक्टर, उमरिया द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन को ग्राह्य किये जाने का आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित किया है, जिसमें म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि संहिता की धारा 51 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कलेक्टर, कमिश्नर, बन्दोबस्त अधिकारी या राजस्व मण्डल स्वंय द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के परिवर्तित होने पर वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर पुनर्विलोकन की कार्यवाही करेंगें। अर्थात

पुनर्विलोकन के संबंध में पश्चात् अधिकारी कोई भी आदेश बगैर वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति के नहीं करेंगे तथा पुनर्विलोकन आवेदन की ग्राह्यता का आदेश संहिता की धारा 51 के उपबन्धों का पालन किये बिना परिवर्तित पीठासीन अधिकारी, कलेक्टर, उमरिया द्वारा पारित किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 विधि–सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक द्वारा निगरानी के साथ मुताबिक लिस्ट दस्तावेज बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व के संबंध में जारी तीन अधिसूचनाओ की छायाप्रति, कार्यालय प्रधान मुख्य वन–संरक्षक, म0प्र0 भोपाल के आदेश दिनांक 22.03.2013 की छायापति, बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व के खितौली परिक्षेत्र द्वारा आवेदक के विरूद्ध कांटे गये पी.ओ.आर. क्र.1634/1 दिनांक 31.08.2006 की छायाप्रति तथा ऋण पुस्तिका एवं खसरे की प्रति संलग्न की गयी है। प्रथम अधिसूचना दिनांक 23.03.1968 को बांधवगढ टाईगर रीजर्व के गठन हेतु जारी किया गया, जिसके माध्यम से बहुत सारी राजस्व की भूमियॉ मय खसरा नम्बर, रकवा व ग्राम सहित बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व से पृथक रखे गये है। उक्त भूमियॉ राजस्व भूमियॉ थी, जो 10 मार्च 1972 के जारी नोटिफिकेशन में आवेदक की

भूमि खसरा क्रमांक 328 रकवा 6.71 एकड़ स्थित ग्राम गढपुरी, तहसील मानपुर, जिला उमरिया का भी स्पष्ट वर्णन लेख व ब्यौरा है। 17 जून 1983 को जो अधिसूचना बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व के विस्तार के लिए जारी हुयी है, उसमें कहीं भी इस बात उल्लेख नहीं है कि सन् 1972 में डिनोटिफाईट हुए राजस्व भूमियोंको पुनः अधिग्रहण किया जाये, जो अधिसूचना 17 जून 1983 को बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व के विस्तार हेतु जारी की गयी है, वह बरही, पनपथा धमोखर, चंदिया एवं मानकर परिक्षेत्र (रेंज) विनिष्ट क्षेत्र के लिए है। आवेदक की भूमि राजस्व ग्राम गढपुरी में आती है।

अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व के द्वारा जो भी नोटिस आवेदिका को दिया गया है, उसमें राजस्व भूमि स्पष्ट रूप से लेख किया जाता है। इसी प्रकार प्रकरण में संलग्न प्रधान, मुख्य वन–संरक्षक, म0प्र0 भोपाल का पत्र दिनांक 22.03.2013 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उक्त क्षेत्र अंतिम रूप से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत अधिसूचित भी नहीं हुआ है। प्रकरण में संलग्न पी.ओ.आर. क्र.1634/1 दिनांक 31.08.2006 में भी राजस्व भूमि लेख किया गया है। संबंधित भूमि राजस्व विभाग की होकर आवेदक के कब्जे, स्वामित्व व पट्टे की राजस्व भूमि है, अतः ऐसी स्थिति में कलेक्टर, उमरिया का आदेश एवं अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल आदेश आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन

किया गया।

4— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किये गये है, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने एवं वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहित होने से निरस्त किये जाने निवेदन किया है।

अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि वह प्रश्नगत भूमि का विधिवत मालिक व स्वामी है तथा उसका कब्जा दखल होकर पट्टेदार भूमिस्वामी है तथा उन्हें अपनी उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किया गया विक्रय पत्र विधि—सम्मत एवं कानूनन दुरूस्त है।

4— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्य अवलोकन करने से स्पष्ट है कि न्यायालय कलेक्टर, उमरिया द्वारा दिनांक 30.04.2007 को जो आदेश पारित किया है उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तथा दिनांक 07.03.2011 को पुनर्विलोकन आवेदन ग्राह्य किये जाने के आदेश पारित करने वाले कलेक्टर भिन्न है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिस कलेक्टर, उमरिया द्वारा दिनांक 30.04.2007 को आदेश पारित किया गया है, उसके द्वारा दिनांक 07.03.2011 को पुनर्विलोकन आवेदन पारित नहीं किया

गया है। यह भी स्पष्ट है कि जिस कलेक्टर, उमरिया द्वारा दिनांक 07.03.2011 को आदेश पारित किया है, वह पश्चात्वर्ती पीठासीन अधिकारी है, जिसके द्वारा अपने वरिष्ठ न्यायालय से संहिता की धारा 51 में वर्णित उपबंधों के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। धारा 51 इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आदेशों का पुनर्विलोकन उसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जिसने उसे पारित किया हो, संबंधित प्रकरण में संहिता की धारा 51 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा इस संबंध में निगरानी को निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, वह स्पष्टतः अवधि वाधित था, जिसके साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। किन्तु इस प्रकरण में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन आवेदन प्रचलनशील ही नहीं था। उक्त वाद–विषय से संबंधित भूमि के संबंध में प्रकरण व दस्तावेजों तथा पार्क के संबंध में जारी तीनों अधिसूचनाओं का परीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वाद–विषय से संबंधित भूमि आराजी खसरा क्रमांक 328 रकवा 6.71 एकड़ (2.715 हैक्टेयर) स्थित ग्राम गढपुरी प.ह. डोभा रा.नि.म. ताला, तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0 राजस्व की भूमि है, जो मुताबिक

अधिसूचना दिनांक 10.03.1972 (डिनोटिफिकेशन) के तहत बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व की नहीं है। दिनांक 17.06.1983 की अधिसूचना में भी वादग्रस्त भूमि को पार्क में लिया जाना प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार जब वाद–विषय से संबंधित भूमि बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व, उमरिया के लिए अधिसूचित ही नहीं है, तब प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रकरण ही निरस्ती योग्य है तथा प्रचलनशील नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर, उमरिया एवं अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित किये गये है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 4/पुनर्विलोकन/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 एवं अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/2012–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं वादग्रस्त भूमि आवेदक के कब्जे, दखल व पट्टे की राजस्व भूमि है, जो बांधवगढ़ टाईगर रीजर्व, उमरिया के अधिसूचित नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कलेक्टर, उमरिया के न्यायालय में लम्बित अग्रिम कार्यवाही प्रचलनशील न होने से निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

सदस्य